

I/208297/2022

उत्तर प्रदेश शासन  
सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3(अधि0)  
संख्या-2524/बीस-ई-3-2017-114(वि0)/2012  
लखनऊ: दिनांक 02 मई, 2017  
कार्यालय-ज्ञाप

Se 10

उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत प्रकरणों का निस्तारण समय सीमा के अन्तर्गत किया जाना है। मा0 मुख्यमंत्री जी के समक्ष दिनांक 20-04-2017 को विभागीय प्रस्तुतीकरण के समय यह निर्देश दिये गये हैं कि जन सामान्य से जुड़ी अधिक से अधिक विभागीय सेवाओं को उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत लाया जाये। उक्त अधिनियम के क0सं0-6 सभी विभागों से सम्बन्धित है, जिनके विषय/निस्तारण का विवरण निम्नवत् है:-

प्रकरण	निस्तारण की समय सीमा		
	आवेदन की तिथि से	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
(i) पेन्शन स्वीकृति पर निर्णय	60 दिवस	30 दिवस	30 दिवस
(ii) जी0पी0एफ0 स्वीकृति पर निर्णय	30 दिवस	15 दिवस	15 दिवस
(iii) चिकित्सा अवकाश स्वीकृति पर निर्णय	15 दिवस	15 दिवस	15 दिवस
(iv) चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर निर्णय (तकनीकी एवं अनिवार्यता परीक्षण के बाद)	60 दिवस	30 दिवस	30 दिवस
(v) प्रोवीजनल पेन्शन स्वीकृति पर निर्णय	30 दिवस	30 दिवस	30 दिवस
(vi) उपाजित अवकाश स्वीकृति पर निर्णय	15 दिवस	07 दिवस	07 दिवस
(vii) वेतन भुगतान पर निर्णय	15 दिवस	07 दिवस	07 दिवस
(viii) गोपनीय प्रविष्टि पर निर्णय	30 दिवस	30 दिवस	30 दिवस
(ix) सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन पर निर्णय	90 दिवस	30 दिवस	30 दिवस
(x) मृतक आश्रित नियुक्ति (सामान्य मामलों में) पर निर्णय	90 दिवस	30 दिवस	30 दिवस

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सचिवालय प्रशासन विभाग के संबंधित अनुभाग उपरोक्तानुसार उल्लिखित प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे।

( मा0 जुनीद )  
विशेष सचिव

संख्या- 2524(1)/बीस-ई-3-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिवालय प्रशासन विभाग के समस्त अधिकारीगण।
- 2- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1,2,3,4,5 एवं 6(अधि)
- 3- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-9(विधि)
- 4- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-10,11,12(लेखा)
- 5- इरला चेक अनुभाग/वेतन पर्ची अनुभाग।
- 6- लोक सेवा प्रबन्धन विभाग को उनके अर्द्ध0शा0पत्र संख्या-185(31)/91-2017, दिनांक 02 मई, 2017 के अनुक्रम में।
- 7- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

20/5/2017  
20/5/2017

आज्ञा से,  
Anwar  
(अवध नारायण)  
अनु सचिव